प्रेस नोट **दिनांक 23.12.2025**

यातायात जन जागरुकता अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ की अध्यक्षता में गाजीपुर तिराहे पर यातायात जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया-

आज दिनांक 23.12.2025 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी की अध्यक्षता में यातायात जन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत गाजीपुर तिराहे पर यातायात जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजनमानस को यातायात नियमों की जानकारी दी गई तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सावधानियाँ अपनाने के संबंध में विस्तृत रूप से जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने, नशे की हालत में ड्राइविंग से बचने तथा सड़क पर निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसी आवश्यक बातें बताई गई साथ ही साथ कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने और अपने माता-पिता,परिवार व समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।

साथ ही साथ महोदय द्वारा लोगों को हेलमेट वितरित किये गये और गाड़ियों में रिफलेक्टर भी लागये गये।

यातायात जागरूकता के महत्वपूर्ण निर्देश-

* हेलमेट एवं सीट बेल्ट जीवन रक्षा का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम हैं।

* नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि दुर्घटना की गंभीर संभावना भी बढ़ाता है।

* नशे की हालत में वाहन चलाना सड़क पर स्वयं एवं दूसरों के लिए बड़ा खतरा है।

* वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग एक सेकंड की चूक में जीवन-घातक दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।

* ओवरस्पीडिंग उत्साह नहीं, बल्कि जीवन के लिए गंभीर जोखिम है।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात श्री अंजनी कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक ट्रैफिक तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरादम-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरूद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा दिनांक 23.12.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कटवास की तरफ जाने वाली रोड़ पुल के पास थाना कोपागंज से मु0अ0स0 382/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सत्येन्द्र खरवार उर्फ लखन्दर पुत्र महेन्द्र खरवार निवासी इटौरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ हालपता अली नगर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ,के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सत्येन्द्र खरवार उर्फ लखन्दर पुत्र महेन्द्र खरवार निवासी इटौरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ हालपता ग्राम अली नगर थाना सरावलखन्सी जनपद मऊ, उम्र करीब 19 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 30/2024 धारा 379,411,413,414,420,467,471 भादवि थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 36/2024 धारा 323,34,506 भादवि थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 32/2024 धारा 323,34,504,506 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. मु० अ०सं० 166/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 147,148,307,323,504,506 भादवि घाना कोपागंज जनपद मऊ।
5. मु0अ0सं0 88/2024 धारा 411,413,414,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाल नगर मऊ जनपद मऊ।
6. मु0अ0सं0 108/2024 धारा 411,413,414,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवालीनगर मऊ जनपद मऊ।
7. मु0अ0सं0 109/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट आना कोतवाली नगर मऊ जनपद मऊ।

8. मु0अ0सं0 24/2023 धारा 380,411 भादवि थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।
9. 382/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद तमंचा 12 बोर
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 राजकमल थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. हे0का0 मानिकराज यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. का0 उमेश कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ।

हत्या के प्रयास से संबंधित मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा व लोहे का पाइप बरामद-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियो कें विरूद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा दिनांक 23.12.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सनबीम स्कूल से थोड़ी दूर आगे मजार के पास रोड़ के किनारे से मु0अ0सं0 355/2025 धारा 3(5)/ 109/351(2)/115(2)/117(2)/61(2) बीएनएस थाना कोपागंज जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त मनोहर राजभर पुत्र रामानन्द राहभर साकिन चकजीयन थाना सरामलखन्सी जनपद मऊ के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद डंड़ा 01 अदद लोहे की पाईप बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मनोहर राजभर पुत्र रामानन्द राहभर साकिन चकजीयन थाना सरामलखन्सी जनपद मऊ ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 355/2025 धारा 3(5)/ 109/351(2)/115(2)/117(2)/61(2) बीएनएस थाना कोपागंज जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद डंड़ा तथा 01 अदद लोहे की पाईप।

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 355/2025 धारा 3(5), 109, 351(2), 115(2), 117(2), 61(2) बीएनएस थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. 459/17 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना सरायलखन्सी
3. 99/2018 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि थाना सरायलखन्सी
4. 60/21 धारा 323, 504, 506 भादवि व 3(1)(डी) एससी/एसटी एक्ट थाना सरायलखन्सी
5. 168/25 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना सरायलखन्सी

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजकमल सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. हे0का0 मनिकराज यादव थाना कोपागंज
3. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह यादव थाना कोपगंज
4. का0 उमेश कुमार थाना कोपागंज

आपरेशन क्लीन' अभियान के अन्तर्गत थाना दक्षिण टोला पर मुकदमों से सम्बन्धित 05 अदद दो पहिया व 04 अदद तीन पहिया वाहनों की नीलामी कराकर कुल ₹ 36500 /- (छत्तीस हजार पांच रुपये) के राजस्व की प्राप्ति की गई-

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पियूष मोर्डिया के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद मऊ में थानों पर लंबित माल मुकदमाती/लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे “ऑपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में नायब तहसीलदार सदर मऊ श्री निशान्त मिश्रा, क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय,

थानाध्यक्ष श्री बसन्त लाल की उपस्थिति में आज दिनांक 23.12.2025 को थाना दक्षिण टोला पर विभिन्न जनपदों से आये कुल 45 रजिस्टर्ड कबाड़ व्यापारियों के समक्ष बोली लगवाकर नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत 05 अदद दो पहिया व 04 अदद तीन पहिया वाहनों का निस्तारण कराकर जीएसटी सहित कुल ₹ 36500/- (छत्तीस हजार पांच रुपये) राजस्व की प्राप्ति की गयी। प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रांड की गयी 14,063/- रु0 कुल धनराशि (चौदह हजार तिरसठ) रुपये थाना दक्षिण टोला साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण टोला साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अन्जान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 14063 (चौदह हजार तिरसठ) रुपये, पीडिता शाहेबा हयात पुत्री इरसाद अहमद निवासी 33 मोमिनपुरा मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिम टोला जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 14063 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दक्षिण टोला के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

साइबर अपराध/धोखाधड़ी से ऑनलाइन फ्रॉड की गई धनराशि को जनपदीय ग्राहक सेवा केन्द्रो से नगद धनराशि निकासी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

आवेदक प्रमोद कुमार पुत्र इन्द्रदेव प्रसाद ग्राम व पोस्ट छपरा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ मय हमराह जयप्रकाश, बबलू यादव, लालबहादुर, चन्द्रदेव, अवधेश मौर्या, रौनकलाल मौर्या ग्राहक सेवा केन्द्र संचालको द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि पंकज सिंह पुत्र रवि प्रकाश सिंह निवासी बिन्द्राबन शाहपुरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा हमारे ग्राहक सेवा केन्द्रों पर लगे बार स्कैनर पर पैसा मंगवा कर हम लोगो से नगद धनराशि ले जाता था, फिर कुछ दिनो बाद हम लोगो का खाता बन्द हो जाता था जिसपर साइबर सेल/थाना से जानकारी करने पर पता चलता था कि गैर प्रान्तो से

खातो को होल्ड किया गया है। उक्त प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना साइबर क्राइम मऊ द्वारा मु0अ0सं0 23/2025 धारा 318(4) BNS व 66C IT ACT व 42(3)(E) टेली कम्युनिकेशन पंजीकृत किया गया। जिसकी श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा प्रकरण की त्वरित विधिक विवेचना आदेश के अनुपालन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर/साइबर के निर्देशन में उक्त अभियोग का शीघ्र विधिक निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित विवेचक/थाना साइबर क्राइम को निर्देशित किया गया।

थाना साइबर क्राइम मऊ द्वारा तत्काल पीड़ितों द्वारा उपलब्ध कराये गये लेन-देन विवरण एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए सम्बन्धित बैंक/नोडलों से समन्वय स्थापित करते हुए विवरण प्राप्त किया गया। प्राप्त विवरण एवं अन्य तकनीकी विश्लेषण करने पर उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपी पंकज सिंह पुत्र रवि प्रकाश सिंह निवासी बिन्द्राबन शाहपुरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ की घटना में संलिप्ता पायी गयी फलस्वरूप अभियुक्त के कॉलम में आरोपी पंकज कुमार उपरोक्त के नाम की बढ़ोत्तरी की गयी। जिसके क्रम में दिनाक 23.12.2025 को आरोपी पंकज सिंह पुत्र रवि प्रकाश सिंह निवासी बिन्द्राबन शाहपुरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उ0प्र0 को गिरफ्तार किया गया दौराने पूछताछ पर गिरफ्तार आरोपी पंकज सिंह पुत्र रवि प्रकाश सिंह निवासी बिन्द्राबन शाहपुरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि मैं गैर प्रान्त के लोगों को उनका रिश्तेदार/करीबी बनकर विदेश मे फंसे होने, बीमारी या किसी आपातकालीन स्थिती बताते हुए उन लोगो से भिन्न-भिन्न ग्राहक सेवा केन्द्रो पर लगे बार स्कैनर पर फ्रॉड के पैसे मंगवा लेता था तथा ग्राहक सेवा केन्द्र संचालको को अपने रिश्तेदारों द्वारा भेजा गया पैसा बताकर संचालको से नगद धनराशि प्राप्त कर लेता था।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अभियुक्त पंकज सिंह पुत्र रवि प्रकाश सिंह निवासी बिन्द्राबन शाहपुरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 23/2025 धारा 318(4) BNS व 66C IT ACT व 42(3)(E) टेली कम्युनिकेशन साइबर क्राइम थाना मऊ।
2. मु0अ0सं0 09/2023 धारा 467/468/471/419/420 भादवि व 66 सी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद मोबाइल फोन मय 02 सिमकार्ड, 600 रूपये नगद धनराशि

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शैलेश सिंह साइबर क्राइम थाना मऊ।
2. निरी0 श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह, साइबर क्राइम थाना मऊ।
3. उ0नि0 श्री राजेश्वर पाण्डेय साइबर सेल मऊ।
4. मु0आरक्षी शैलेन्द्र कुमार कन्नौजिया, साइबर क्राइम थाना मऊ।
5. आरक्षी अर्वेन्द्र प्रताप मिश्रा साइबर क्राइम थाना मऊ।
6. आरक्षी शाशिकान्त मणि त्रिपाठी, साइबर क्राइम थाना मऊ।
7. आरक्षी प्रभात कुशवाहा साइबर क्राइम थाना मऊ।
8. आरक्षी प्रदीप पटेल साइबर क्राइम थाना मऊ।
9. आरक्षी अनुप यादव साइबर क्राइम थाना मऊ।
10. आरक्षी धीरज कुमार यादव साइबर क्राइम थाना मऊ।
11. आरक्षी करन अभिषेक सिंह साइबर सेल मऊ।

अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये रखने के क्रम में थाना रामपुर में पंजीकृत अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तों पर 25-25 हजार का पुरस्कार घोषित–

अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा थाना रामपुर में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 133/25 धारा 3(5), 110, 117(2), 352, 115(2), 109, 103(1) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट वांछित निम्नलिखित 03 अभियुक्तों के विरूद्ध 25-25 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया है–

1. सोनू राजभर पुत्र धनन्जय राजभर निवासी अजोरपुर थाना रामपुर जनपद मऊ।
2. सैफ पुत्र मुर्हरम निवासी लखनौर थाना रामपुर जनपद मऊ।
3. आकाश पुत्र नागेन्द्र उर्फ मजनू निवासी डुमरी थाना रामपुर जनपद मऊ।

पुलिस के दबाव में फरार चल रहे पचास हजार के इनामिया का आत्म - समर्पण -

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के स्पष्ट निर्देशानुसार जनपद में घटित गंभीर अपराधों में फरार चल रहे वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष अभियान टीम बनाकर निरंतर चलाया जा रहा था , इस अभियान के अंतर्गत जनपद पुलिस द्वारा प्रभावी रणनीति, सतत दबिश एवं तकनीकी-मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से अपराधियों व उनके परिवार व सहयोगियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उक्त अभियान अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में संचालित किया जा रहा था । इसी क्रम में मु0अ0सं0 359/22, धारा 363/328/365/342/370क/372/373/376डीए/120बी भा.द.वि. व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त चौकीदार रामजीवन पासवान पुत्र जीवछ पासवान निवासी वार्ड नं0 12 बैरा परसा थाना जयनगर जनपद मधुबनी बिहार जो विगत दो वर्षों से वांछित चल रहा था और ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) का पुरस्कार घोषित अपराधी था ने गिरफ्तारी से बचने के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व ₹ 10000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय ए.एस.जे.4 कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 23-12-2025 को मु0अ0सं0 421/2014 धारा 306 भा.द.वि. का थाना मधुबन मे दोषसिद्ध अभियुक्त बृजेश पुत्र रामनगीना निवासी हैबतपुर थाना मधुबन जनपद मऊ 2. अंजनी कुमार मिश्रा पुत्र नंदकुमार मिश्रा निवासी कांठतराव थाना रामपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं ₹ 10000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री नन्दलाल भारती , प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार का0 शरवन का सराहनीय योगदान रहा।

कम्युनिटिंग पुलिसिंग के तहत पुलिस अधीक्षक मऊ श्रा इलामारन जी द्वारा जरूरतमंद और गरीबों के बीच कंबल और मिठाईयां वितरित की गई -

विंटर सीजन एवं कड़कड़ाती ठंड के दृष्टिगत आज दिनांक 23.12.2025 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा झुग्गी झोपड़ी मे रहने वाले तथा जरूरतमंद और गरीबों के बीच सर्दी के बचाव हेतु कम्बल और मिठाइया वितरित की गयी। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस हर कदम पर आम लोगों के साथ है। कार्यक्रम का मकसद जनता और पुलिस के बीच की खाई को पाटना है तथा लोगों को गलत आदतों व कुरीतियों से दूर रहने की सलाह दी गयी। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाणडेय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री अनिल सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे।